राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2018–19 के लिए दायर

सत्यापन याचिका

जनवरी 2020

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

- वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 (विव 18 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित।
- इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।
- इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2018–19 के लिए सत्यापन याचिका
जयपुर डिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केप्टीव पॉवर प्लांट
कउ	कटे हुए उपभोक्ता
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 18	वित्तीय वर्ष 2018–19
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम/म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लधु औद्योगिक शक्ति
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता/यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	**विव 2018–19 के लिए ट्रयूअप**		
		प्रस्तावना	
		विव 2018–19 के लिए ट्रयूअप	
		ऊर्जा विक्रय	
		वितरण हानियां	
		विव 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन	
		विव 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	
		विद्युत क्रय लागत	
		परिचालन एवं संधारण व्यय	
		कर्मचारी व्यय	
		प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	
		बीमा व्यय	
		मरम्मत एवं संधारण व्यय	
		ब्याज तथा वित्त प्रभार	
		ह्रास	
		अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं की दी गयी छूट तथा पूर्वावधि	
		विव 2018–19 के लिए सराआ का सारांश	
		गैर–टैरिफ आय एवं अन्य टैरिफ आय	
		राजस्व	
		विव 2018–19 के लिए राजस्व घाटा/लाभ	
		विव 2018–19 के लिए विचलन विश्लेषण	
अ 2:		**प्रार्थना**	

सारणियों की सूची

सारणी–1	विव 2018–19 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रू.)	
सारणी–2	विव 2018–19 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना	
सारणी–3	वितरण हानियां (प्रतिशत)	
सारणी–4	विव 2018–19 के ऊर्जा संतुलन	
सारणी–5	विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रू.)	
सारणी–6	विव 2018–19 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू.)	
सारणी–7	विव 2018–19 के लिए कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–8	विव 2018–19 के लिए प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–9	प्रशासकीय एंव सामान्य व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–10	विव 2018–19 के लिए बीमा व्यय	
सारणी–11	विव 2018–19 के लिए म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–12	विव 2018–19 के लिए मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–13	विव 2018–19 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)	
सारणी–14	विव 2018–19 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)	
सारणी–15	विव 2018–19 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–16	विव 2018–19 के लिए वाराआ (करोड़ रू.)	
सारणी–17	विव 2018–19 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व (करोड़ रू.)	
सारणी–18	विव 2018–19 के लिए गैर– टैरिफ आय (करोड़ रू.)	
सारणी–19	विलम्ब शुल्क अधिभार की मूल राशि के वित्तपोषण पर ब्याज(करोड़ रू.)	
सारणी–20	विव 2018–19 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्व घाट (करोड़ रू.)	
सारणी–21	विव 2018–19 के लिए विचलन विश्लेषण (करोड़ रू.)	

अ 1. विव 2018–19 के लिए ट्रयू–अप

प्रस्तावना

1.1 याचिकाकर्ता 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़' (इसके आगे 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट) राजस्थान सरकार (रास) द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत यथाधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत के व्हींलिग तथा फुटकर आपूर्ति के लिए एक वितरण याचिकाकर्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के रूप में नियुक्त है। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से जयपुर (नगर वृत्त) , जयपुर (जिलावृत्त), अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक याचिकाकर्ता जविविनिलि के क्षेत्र के रूप में है।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (इसके आगे 'आयोग' के रूप में निर्दिष्ट), विद्युत विनियामक आयोग (विविआ) अधिनियम, 1998, जिसका विद्युत अधिनियम (विअ) 2003 द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया था, के अन्तर्गत गठित एक स्वतन्त्र सांविधिक निकाय है। आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत हुआ है। आयोग में, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विनिर्धारण सहित विद्युत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के प्राधिकार निहित हैं।

1.3 माननीय आयोग ने 24 फरवरी 2014 को ''टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें विनियम, 2014'' जारी किये थे। ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए विस्तारित हुये तथा विनियमों के अन्तर्गत आवृत सभी प्रकरणों में टैरिफ के विनिर्धारण हेतु विव 2014–15 से विव 2018–19 तक प्रयोज्य रहे। इसलिए जविविनिलि माननीय आयोग से निवेदन करता है कि उक्त राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयोग विव 2018–19 की ट्रयू–अप की याचिका पर विचार किये जाने के लिए सशक्त है।

1.4 बाद में माननीय आयोग ने राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत विव 2018–19 के लिए 28.5.2018 को टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।

1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 8 (3) के अनुसार ट्रयू–अप में, आवेदक का पिछले वर्ष के अंकेक्षित निष्पादन के साथ माननीय आयोग के अवलोकन व विवेकी

जांच हेतु तुलना समाहित होगी। याचिकाकर्ता विव 2018–19 के लिए ट्रयू–अप प्रस्तुत करना चाहेगा।

1.6 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्राक्कलित तथा तद्नुरूप आयोग द्वारा अनुज्ञात की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता, आदेश जारी करते समय विव 2018–19 के प्राक्कलित विक्रयों तथा प्राक्कलित व्ययों पर आधारित थी। तथापि, क्योंकि अंकेक्षित वास्तविक आंकड़े डिस्कॉम के पास उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता विव 2018–19 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार ट्रयूअप की याचिका माननीय आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा है।

1.7 माननीय आयोग के विचारार्थ विव 2018–19 के अंकेक्षित लेखों की एक प्रतिलिपि भी इस याचिका के **अनुलग्नक– A** के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस ट्रयूअप याचिका में विव 2018–19 के दौरान याचिकाकर्ता ने उपगत वास्तविक लागत दर्शाने के लिए अंकेक्षित लेखों को स्त्रोत के रूप में लिया है।

2. विव 2018–19 के लिए ट्रयूइंग–अप

2.1 माननीय आयोग ने दिनांक 28.5.2018 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता की विव 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता, 16368 करोड़ रू. के सदृश राजस्व अन्तर के साथ 651 करोड़ रू. प्राक्कलित की। याचिकाकर्ता ने अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक अन्तर तथा अनुमोदित अन्तर नीचे सारणी में प्रस्तुत किया है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवयवों को याचिका के बाद वाले भाग में विस्तृत किया गया है।

सारणी 1: विव 2018–19 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रू.)

	विशिष्टियां	फोर्म संख्या	अनुमोदित (ब)	वास्तविक (स)	विचलन द=ब–स
1	2	3	4	5	6
A	1. व्यय				
1	विद्युत क्रय लागत	3.1	10,773	13,155	2,382
2	परिचालन एवं संधारण व्यय	3.2	1,642	1,753	111
2.1	कर्मचारी व्यय	3.2	774	670	(104)
2.2	सा.एवं प्रा. व्यय	3.2	82	199	117

2.3	म.एवं सं. व्यय	3.2	236	233	(3)
2.4	सेवान्त लाभ	3.2(b)	550	651	101
3	ह्रास	3.6	732	904	172
4	दीर्घा अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	3.10	1,838	1,331	(507)
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.3	140	1,769	1,629
6	उपभोक्ताओं की सुरक्षा राशि पर ब्याज		74	74	0
7	प्रसारण प्रभार	3.4	1,643	1,919	276
8	एनएलडीसी / आरएलडीसी / एसएलडीसी प्रभार	3.5	7	7	(0)
9	विनियामकीय परिसम्पतीयां				
10	डूबत खाते के ऋण (यदि कोई हो)	4.3		3	3
11	बीमा व्यय	4.4	29	2	(27)
12	अन्य व्यय	4.2		538	538
	कुल व्यय		**16,878**	**21,456**	**4,579**
	कुल वा.रा.आ.(A+B)		**16,878**	**21,456**	**4,579**
C	**अन्य राजस्व**				
1	गैर टैरिफ आय	2.4	377	812	435
2	विद्युत परिवहन से आय	2.2	133	5	(128)
3	अन्य व्यवसायों से आय	2.4		-	-
4	क्रोस अनुदान प्रभार से आय	2.2		17	17
5	अतिरिक्त प्रभार से आय	2.2		9	9
6	ट्रेडिंग से आय	2.3		366	366
	कुल योग (C)		**510**	**1,209**	**699**
D	निवल वा.रा.आ.(A+B-C)		**16,368**	**20,248**	**3,880**
	विद्युत विक्रय से राजस्व				
E	**विद्युत विक्रय से राजस्व**	**2.1**	**16,384**	**16,351**	**(33)**
F	**राजस्व सहायिकी**	**2.6**	**676**	**639**	**(37)**
G	**आर.वी.यू.एन.का ट्रू–अप आदेश**		41		(41)
H	**राजस्व अन्तर (D-E-F-G)**		**(651)**	**3,258**	**3,909**

I	**उदय अनुदान**		41,64	
J	**उदय अनुदान के पश्चात राजस्व अन्तर (H-I)**		(906)	**3,909**

2.2 उपरोक्त सारणी में यथादर्शित विव 2018–19 के लिए वास्तविक राजस्व आवश्यकता, अनुमोदित 16368 करोड़ रू. के प्रति 20247.60 करोड़ रू. रही है।

2.3 विव 2018–19 के लिए अनुमोदित वाराआ व वास्तविक राजस्व में अन्तर मुख्यतः पावर खरीद लागत, ओएण्डएम खर्चे, टर्मिनल बेनिफिटस, ब्याज लागत व अन्य खर्चो के कारण है । याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि ए आर आर में विचलन के कारणों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित अनुभागों में प्रदान कर दिया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि वितरण हानि और प्रति युनिट बिजली खरीद लागत अनुमोदित से अधिक होने के कारण वाराआ आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 28.5.18 के तहत अनुमोदित से अधिक है ।

2.4 माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 28.5.18 मे वित्त वर्ष 2018–19 के वास्तविक ऊर्जा खरीद दर रू. 4.33 प्रति युनिट (ट्रासंमिशन लागत सहित) के ऐवज मे रू. 4.12 प्रति युनिट (ट्रासंमिशन लागत सहित) की विद्युत खरीद दर अनुमोदित की थी। विद्युत खरीद दर मे यह विचलन विभिन्न कारकों के कारण है जिसमे आर वी यू एन स्टेशनों, गैर पारम्परिक स्त्रोत इत्यादि की उच्च खरीद लागत शामिल है ।

2.5 विद्युत का अधिकांश हिस्सा राविउनि से 4.15 रू./इकाई पर आहृत किया जाता है, जो माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 4.00 रू./इकाई से उच्चतर है। यह विद्युत याचिकाकर्ता द्वारा अधिप्राप्त कुल विद्युत के लगभग 36 प्रतिशत है। इसी प्रकार एनटीपीसी, एनएचपीसी, अरावली, अडानी, सासन, नवेली, कॉस्टल गुजरात, करचम वांगटू और गैर– अक्षय ऊर्जा जैसे स्त्रोतों से भी जविविनिलि ने काफी मात्रा मे ऊर्जा खरीदी है जिनकी प्रति युनिट विद्युत खरीद दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित दर से अधिक है।

2.6 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए जविविनिलि माननीय आयोग से वर्ष 2018-19 के लिये अंकेक्षित लेखे के आधार पर ऊर्जा क्रय के मूल्य को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता हैं।

3. ऊर्जा विक्रय

3.1 नीचे दी गई सारणी विव 2018–19 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत विक्रय तथा विक्रय से प्राप्त राजस्व की तुलना दर्शाती है :

सारणी 2: विव 2018–19 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना

उपभोक्ता श्रेणी	राजस्व (करोड़ रू.)		विक्रय (एमयू)		औसत विपत्रण दर (रू./इकाई)	
	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक
घरेलू सेवा	3,649	3,187.67	5,228	4,650.50	6.98	6.85
अघरेलू सेवा	2,276	1,984	2,393	2,039.47	9.51	9.73
सार्वजनिक पथ प्रकाश	156	128.48	209	147.66	7.46	8.70
कृषि मीटरित आपूर्ति	2,988	3,546.74	5,966	6,656.93	5.01	5.33
कृषि फ्लेट रेट आपूर्ति	54	185.99	99	364.10	5.45	5.11
लधु औधोगिक सेवा	232	204.86	326	273.95	7.12	7.48
मध्यम औधोगिक सेवा	583	594.70	747	715.53	7.80	8.31
वृहद औधोगिक सेवा	3,111	4,304.76	3,929	5,214.93	7.92	8.25
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	163	208.21	246	299.56	6.63	6.95
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	34	24.47	46	33.41	7.39	7.32
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	265	224.35	353	290.09	7.51	7.73
मिश्रित भार आपूर्ति	159	115.52	209	159.88	7.61	7.23
रेलवे ट्रैक्शन	-	133.08		17.07		77.96
डी.एफ.( )	-	880.80		1,492.61		5.90
विद्युत विक्रय से कुल राजस्व	**13,671.00**	**15,723.62**	**19,751**	**22,355.69**	**6.62**	**7.03**

3.2 याचिकाकर्ता निवेदन करना चाहेगा कि विक्रय, उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न, मौसम की स्थितियों में परिवर्तन तथा भूमि की विधियों पर निर्भर करता है। उपरोक्त घटक याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से परे हैं, जिसके कारण उपभोग तथा इसके उपभोक्ताओं को विक्रय पर याचिकाकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

3.3 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर वास्तविक विपत्रण दर से भिन्न है। अनुमोदन में माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर अधिकांश श्रेणियों में वास्तविक विपत्रण दर से

से उच्चतर है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि माननीय आयोग द्वारा राजस्व का अनुमान श्रेणीवार एबीआर स्लेब के आधार पर आंकलन किया है, जो कि वास्तविक से काफी अलग हो सकता है।

3.4 याचिका कर्ता निवेदन करता है कि कृषि मीटर्ड़ और कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं की गणना निम्न प्रकार की गयी है।

फ्लेट रेट उपभोक्ता	
विद्यमान कुल फ्लेट रेट उपभोक्ता	21,681
घटाएः मीटर में परिवर्तित	1,734
कुल फ्लेट रेट उपभोक्ता	19,947
कुल सम्बद्ध भार	1,69,469
विशिष्ट उपभोग	1945
कुल विक्रय (मि.यू.)	**329.6**

मीटर्ड़ उपभोक्ता	
विद्यमान कुल मीटर्ड़ उपभोक्ता	461912
जोड़ेः फ्लेट रेट में परिवर्तित	1,734
जोड़ेः नये उपभोक्ता	36,565
कुल उपभोक्ता	500,211
कुल सम्बद्ध भार	5,286,347
विशिष्ट उपभोग	1,273
कुल विक्रय (मि.यू.)	**6,732.1**

3.5 याचिका कर्ता ने श्रेणीवार विद्युत विक्रय और राजस्व के वास्तविक विस्तृत विवरण को उपयोग में लिया है। इसके अतिरिक्त एक भी उपभोक्ता पूरे वर्ष एक ही स्लेब में नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त प्रक्षेपणों के लिये माननीय आयोग ने वर्ष के अन्त के उपभोक्ताओं और सम्बद्ध भार को उपयोग में लिया है, यदपि वर्ष के दौरान दोनो में परिवर्तन होता है।

इसके अतिरिक्त कुछ डी.सी. उपभोक्ता भी होते है जोकि औसत बिलिंग दर में परिवर्तन लाते हैं।

3.6 विद्युत विक्रय और राजस्व पर याचिका कर्ता का नियत्रंण नहीं है। अतः माननीय आयोग से विद्युत विक्रय को अंकेक्षित लेखों के अनुसार अनुमोदित करने का निवेदन है।

3.7 इसके अतिरिक्त डिस्कॉम ने कोटा और भरतपुर को वितरण फ्रेन्चाइजी को दे दिया है। डिस्कॉम इन क्षेत्रो में इनपुट पर विद्युत प्रदाय करता है और बिलिंग डी.एफ के अनुबन्ध के अनुसार औसत बिलिंग दर के आधार पर की जाती है। डिस्कॉम के उपभोक्ताओं की विद्युत विक्रय और राजस्व के विस्तृत विवरण को उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता स्तर पर इन क्षेत्रो की विद्युत विक्रय और राजस्व को फोर्म संख्या 2.1 मे ंदर्शाया गया है।

4 वितरण हानियां

4.1 आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में वितरण हानियां 15 प्रतिशत अनुमोदित की है। याचिका कर्ता ने वितरण हानि का स्तर विव 2018–19 के लिए 20.54 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

सारणी 3: वितरण हानियां (प्रतिशत)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
वितरण हानियां	15.00%	20.54%	5.54

4.2 हांलाकि यह उल्लेखनीय हे कि डिस्कॉम ने वितरण हानि को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए है तथा पिछले वर्ष की तुलना 0.52 प्रतिशत वितरण हानियां कम की गयी हैं। यह पिछले वर्षो में किए गए विभिन्न उपायों का एक परिणाम है । वर्ष 2018.19 में पूंजीगत खर्चे का एक बड़ा भाग विद्युत तत्र को विकसित और सुद्धड करने के लिए खर्ज किया गया है। सही ऊर्जा लेखो और अंकेक्षण को सुनिचित करने लिए फीडर और डीटी मीटरिंग, उपभोगताओं की इंडेक्सिग और मीटरिंग की गयी हैं। डिस्कॉम के लिए विद्युत चोरी एक चुनौती हैं जिसके लिए लगातार सतर्कता जाँच की जा रही हैं।

4.3 वितरण हानियों को कम करने के लिए कई अन्य प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों में एक कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुसुम योजना का क्रियान्वयन हैं। कुसुम योजना के द्वारा ग्रिड से जुड़े हुये कृषि पम्पों को सौर ऊर्जाकृत किया जायेगा। इससे बिजली जहा उत्पन होगीं वही इसका उपभोग होगा जिससे डिस्कॉम की वितरण हानियों मे कमी आयेगी।

4.4 केन्द्र सरकार की सहायता के निवेदन के साथ ही फीडर पृथक्कीकरण, उप प्रसारण और वितरण तंत्र को विकसित करने की योजनाए भी तैयार की गयी हैं। इनके क्रियान्वयन से वितरण हानियों में कमी आयेगीं।

4.5 याचिकाकर्ता के वृहत वितरण क्षेत्र, छितराए वितरण लोड केन्द्र तथा अत्यधिक संख्या में कृषि कनेक्शन देखते हुए इन उठाए गए कदमो का लाभ मिलने में कुछ समय की आवश्यकता है। आयोग द्वारा तय किए गए हानि के प्रक्षेपवक्र के आधार पर खर्चे को अनुमत नहीं करना याचिकाकर्ता के लिए विव 2018–19 तक वितीय एवं परिचालन में बदलाव लाने के प्रयासों में झटके का कार्य करेगा।

4.6 डिस्कॉम उपभोक्ताओं द्वारा कम विद्युत भार बताने के करण राजस्व में कमी का बिलिंग के आंकडो का उपयोग करके विश्लेषण करने की योजना बना रहा हैं।

4.7 यहां यह उलेख करना आवश्यक होगा की राजस्थान जैसे अधिकतर राज्यों प्रर्याप्त सुधार किया है लेकिन उदय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। यदपि जो राज्य लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके उनसे तुलना करना उचित नहीं है फिर भी ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों पर ध्यान देना होगा। यह लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को इंगित करता है, जिसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।

राज्य	आधार वर्ष की हानियां (%) (वि.व. 2015–16)	लक्षित हानियां (%)	प्राप्त हानियां (%) (वि.व. 2018–19)
जयपुर डिस्कॉम	27.67	15.00	20.54
मध्य प्रदेश	23.97	17.00	31.90
महाराष्ट्रा	19.07	14.98	17.34
बिहार	43.74	21.00	27.39

उत्तर प्रदेश	26.47	19.36	24.64
हरियाणा	29.83	15.00	17.45

4.8 अतः यचिका कर्ता माननीय आयोग से वर्ष 2018–19 की ट्रू–अप को अनुमोदित करते समय इस वर्ष की वास्तविक हानियों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

5. 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन

5.1 नीचे सारणी याचिकाकर्ता के लिए विव 2018–19 के दौरान अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय आवश्यकता की विस्तृतियां दर्शाती है। एक्सचेन्ज को कि गयी विधुत विक्रय अंकेक्षित लेखों के अनुसार है।

सारणी 4: विव 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	अनुमोदित–विव 2018–19 के लिए	वास्तविक–विव 2018–19 के लिए
ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	23,476	24,045
वितरण हानि (प्रतिशत)	15.00%	20,54%
वितरण हानि (मि.यू.)	4,143	6,215
वितरण परिधि पर आवश्यकता (मि.यू.)	**27,619**	**30,260**
प्रसारण हानियां (%) (अन्तर्राज्यीय व राज्यान्तिरिक)	क्रमशः (3.15% और 3.35%)	6.25%
प्रसारण हानियां (मि.यू.)	1,354	2,017
सकल ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	**28,973**	**32,276**

5.2 माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता 28973 मि. यू. के प्रति याचिका कर्ता की वास्तविक ऊर्जा क्रय 32276 मि. यू. (एक्सचेन्ज की विद्युत विक्रय को सम्मिलित करते हुए) है।

6. विव 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

6.1 विद्युत क्रय लागत

6.1.1 नीचे सारणी, याचिकाकर्ता की अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय लागत का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाती है :

सारणी 5: विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रू. में)

स्त्रोत	अनुमोदित			वास्तविक		
	प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत	(रू. /किवाध)	प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत	(रू./ किवाध)
	एमयू	करोड़ रू.		एमयू	करोड़ रू.	
रातविके	3,384	1,025	3.03	3,795.58	1,274.63	3.36
राजविके	706	239	3.39	703.81	238.17	3.38
नेवेली	580	208	3.59	472.92	173.95	3.68
सजविनिलि+रामपूर	297	77	2.59	245.74	83.91	3.41
अरावली	2	2	10.00	-	(0.71	
एनवीवीएन सयुक्त	904	408	4.51	868.77	354.21	4.08
कोस्टल गुजरात	945	236	2.50	807.74	250.22	3.10
अडानी	2115	754	3.57	3,011.38	1,329.21	4.41
सासन	1073	162	1.51	1,070.77	151.39	1.41
वांगटू(पीटीसी)	198	90	4.55	161.89	60.98	3.77
पीटीसी(डीबी)	740	360	4.86	862.82	457.54	5.30
पीटीसी(मारूति)	728	267	3.67	564.05	184.68	3.27
पीटीसी(तीस्ता)				6.88	6.24	9.07
भानाविनिलि	1382	420	3.04	113.93	37.27	3.27
आर ए पी एस				955.17	363.43	3.80
टीएचडीसी	135	66	4.89	134.64	102.46	7.61
ताला(पीटीसी के द्वारा)	18	4	2.22	14.95	3.23	2.16
राविउनि	9607	3842	4.00	12,097.09	5,015.04	4.15
गिराल				-1.29	-0.18	1.37
राजवेस्ट	2424	933	3.85	2,391.41	1,117.03	4.67
हिस्सेदारी परियोजनायें	1439	79	0.55	1,188.68	52.78	0.44
अन्य				182.50	150.64	8.25
गैर पारम्परिक एंव केपटिव	4,634	2,351	5.07	2,868.35	1,457.93	5.08
यू.आई.				252.15	121.17	4.81

बैकिंग				17.24	16.86	9.77
अन्तर्डिस्कॉम क्रय				103.89	(4.11)	(0.40)
नये संयंत्र	3888	1392	3.58			
समग्र ऊर्जा क्रय	**35,199.00**	**12,915.00**	**3.67**	**32,891.04**	**12,997.94**	**3.95**
लघु अवधि ऊर्जा क्रय	-5146	-1770	3.44	340.70	151.25	4.44
आर..यू.वी.एन. को सेवा प्रभार					6.22	
निवल ऊर्जा क्रय मूल्य	**30,053.00**	**44,145.00**	**3.71**	**33,231.74**	**13,155.42**	**3.96**
भाविग्रिनिलि प्रभार		687			756.49	
मारू प्रसारण					14.88	
अरावली प्रसारण					9.20	
राविप्रनिलि प्रभार		956			970.51	
राभाप्रेके प्रभार		6			5.67	
हाडोती पावर					7.40	
थार पावर					7.02	
बाडमेंर पावर					9.66	
उक्षेभाप्रे–पीएसईवी		1			-	
उक्षेभाप्रे–पीओएससीओ					1.02	
पीओसी प्रभार					144.11	
सकल लागत प्रसारण प्रभारो सहित	**30,053**	**12,795**	**4.26**	**33,232**	**15,081**	**4.54**

6.1.2 माननीय आयोग ने वर्ष 2018-19 के अपने आदेश दिनांक 28.05.2018 में ऊर्जा क्रय का मूल्य (प्रसारण लागत को सम्मिलित नहीं करते हुए) 1145 करोड़ रू. अनुमोदित किया हैं। अंकेक्षित लेंखो के आधार पर याचिका कर्ता का ऊर्जा क्रय मूल्य 15081.37 (प्रसारण लागत को सम्मिलित नहीं करते हुए) करोड़ रू. है जो कि अनुमोदित से अधिक हैं।

6.1.3 यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विव 2018–19 के दौरान विद्युत क्रय दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 4.26 रू. प्रति इकाई के प्रति 4.54 रू./इकाई उपगत की गई है। विद्युत खरीद दर मे यह विचलन विभिन्न कारको मुख्यतः एन.टी. पी.सी., कोस्टल गुजरात, अडानी पंवार, राजवैस्ट, आरवीयूएन इत्यादि की महंगी

विद्युत खरीद दर के कारण है।

6.1.4 याचिका कर्ता अंकेक्षित लेंखो के अनुसार ऊर्जा क्रय के मूल्य पर किए गये वास्तविक व्यय को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

6.2 परिचालन एवं संधारण व्यय

6.2.1 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 24 के अनुसार

1. नियत्रण समयावधि के प्रथम वर्ष के प.व.स. व्यय माननीय आयोग द्वारा विनियमों में इंगित प्रासमिक प.व.स. व्यय के आधार निधार्रित किए जायेगें।
2. यदि अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत कम्पनी की लीज पर ली गयी और उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि से निर्मित की गयी परिसम्मित्तियों के प.व.स. व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी हो तो इन पर विचार किया जायेगा।
3. नियत्रण अवधि (वर्ष 2014–15) की शुरूआत में अनुमत किये गये प.व.स. व्यय को 5.58 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढाया जायेगा।

6.2.2 माननीय आयोग ने दिनांक 28.5.18 के अपने टैरिफ आदेश में प्रासमिक आधार पर 1091 करोड़ रू. प.एवं.सं. व्यय (सेवान्त लाभों के अतिरिक्त) अनुमोदित किये थे (1474 करोड़ रू. ,पूँजीकृत खर्चो के अतिरिक्त)। माननीय आयोग द्वारा प.एवं.सं. लागत वर्ष के लिए ऊर्जा विक्रय पर आधारित व्युत्पन्न किये गये थे।

6.2.3 विव 2018–19 के अंकेक्षित खातों के अनुसार पूंजीकरण के पश्चात शुद्ध ओ एण्ड एम खर्चे (सेवान्त लाभ के अलावा) 1102.03 करोड़ रू. है।

6.2.4 सेवान्त लाभो और ग्रेचुइटी, सेवानिर्वति पर अवकाश का भुगतान और अन्य लाभों के मद में सेवान्त लाभों की राशि 788.70 करोड़ रू. है। डिस्कॉम की नयी लेखा नीति के अनुसार जयपुर डिस्कॉम ने सेवान्त लाभो को पूँजीकृत करना प्रारम्भ कर दिया है। याचिका कर्ता ने वर्ष 2018–19 के लिये 137.58 करोड़ रू. को पूँजीकृत किया है। वर्ष 2018–19 के लिये पूँजीकरण के पश्चात सेवान्त लाभ 651.12 करोड़ रू. है। यह निवेदन किया जाता है की सेवानिर्वति और ग्रेचुइटी के कारण अतिरिक्त

व्यय का दायित्व जयपुर डिस्कॉम के नियंत्रण में नहीं है इस लिये याचिका कर्ता माननीय आयोग से इसको पास थ्रू करने का निवेदन करता है।

6.2.5 याचिकाकर्ता के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प.एवं.स. व्यय तथा संशोधित प्रासमिक प. एवं.सं. व्ययों के सम्बन्ध में विचलन नीचे सरणित हैं –

सारणी 6: विव 2018–19 के लिए कर्मचारी, म.एवंसं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू. में)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
कर्मचारी लागत	1,120.00	811.68	(308.32)
सेवान्त लाभ	550.00	788.70	238.70
प्रशासकीय एंव सामान्य लागत (बीमा लागत सहित)	147.00	231.56	84.56
मरम्मत एवं संधारण लागत	236.00	233.30	(2.70)
कुल प.व.स.	**2,053.00**	**2,065.22**	**12.22**
घटायें – पूंजीकृत किये जाने वाले व्यय	382.00	310.38	(71.62)
निवल प.एवं.सं.	**1,671.00**	**1,754.85**	**83.85**

6.2.6 याचिका कर्ता माननीय आयोग से वर्ष 2018–19 के लिए प.व.स. व्ययो को वास्तविक के अनुसार अनुमोदित करने की प्रार्थना करता हैं।

कर्मचारी व्यय

6.2.7 याचिकाकर्ता के कर्मचारी व्ययों में वेतन, मजदूरी, भत्ते, अनुग्रह भुगतान, स्टॉफ कल्याणकारी व्यय, सेवान्त लाभ, आदि निहित हैं।

6.2.8 चूंकि अधिशेष एवं ग्रेच्युटी देयता के कारण अतिरिक्त लागत याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है, अतः याचिकाकर्ता इसे इसी रूप में अनुमोदित करने का अनुरोध करता है।

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
कर्मचारी व्यय	1120-00	811-68
सेवान्त लाभ	550-00	788-70
योग	**1670**	**1600**

6.2.9 परिभाषित लाभ योजना के तहत् 31.03.2018 को अप्रयुक्त भुगतान अवकाश का एक्च्यूरियल वेल्यएूशन किया गया एवं इसे खर्चा माना गया। इसके कारण कर्मचारी लागत में अतिरिक्त भुगतान किया गया जो प्रामाणिक अनुमोदित कर्मचारी खर्चों में नहीं लिया गया।

6.2.10 उपरोक्त दो देनदारियों के कारण अतिरिक्त खर्च हुआ जो कि याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे है और सत्यापन के दौरान पुर्णतः अनुमोदित किया जाना चाहिए।

6.2.11 अंकेक्षित लेखा पुस्तकों के अनुसार वास्तविक कर्मचारी व्यय नीचे दिये गये अनुसार हैं–

सारणी 7: कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2018–19
अ.	**वेतन, मजदूरी, भत्ते व बोनस आदि**	
1	वेतन	**610.98**
2	समयोपरि	1.06
3	महगाई भत्ता	61.02
4	अन्य भत्ते	65.84
5	महंगाई वेतन	0.02
6	अनुग्रह भुगतान तथा बोनस	12.61
7	मानदेय	0.00
8	अर्जित अवकाश नकदीकरण	24.04
9	शिक्षण शुल्क का पुनःर्भुगतान	0.00
10	अन्य प्रोत्साहन	0.01
11	निक्षेप सहबद्ध बीमा – मण्डल अंशदान	2.04
12	ई.एस.आई – मण्डल अंशदान	0.59
13	पुनःसम्बन्ध पर प्रोत्साहन	0.30
14	वितरण कम करने पर प्रोत्साहन	12.64
15	फिटर इंचार्ज को प्रोत्साहन	10.94
16	अंतरिम राहत	0.00
17	निगम द्वारा समूह बीमा योजनान्तर्गत भुगतान	0.64

18	वाहन व्यय	0.05
19	चिकित्सा व्यय पुनर्भरण (निजी अस्पताल)	0.81
20	चिकित्सा व्यय पुनर्भरण (सरकारी अस्पताल)	1.48
21	प्रशिक्षण व्यय	0.57
22	गणवेश व वर्दी व्यय	1.80
23	साबुन व डस्टर	0.36
24	सुरक्षा साधन	2.02
25	अन्य कल्याणकारी व्यय	0.18
26	वार्षिक भृति लाभ	0.03
27	डी.एल.आई.प्रशासनिक प्रभार	0.43
28	मेडी–क्लेम पॉलिसी प्रीमियम	1.22
29	बकाया वेतन पर ब्याज	0.00
	कुल योग	**811.68**
ब.	**सेवान्त लाभ**	
1	सेवान्त लाभ (अंशदान निधि सहित)	64.67
2	सेवान्त पर मण्डल अंशदान	543.95
3	अवकाश नकदीकरण	93.12
4	क्षतिपूर्ति प्रभार	-
5	ग्रेचुइटी	85.98
6	भविष्य निधि– निरीक्षण, अंकेक्षण प्रभार	-
7	नयी पेंशन योजना में निगम का अंशदान	0.01
8	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियमान्तर्गत भुगतान	0.97
	कुल योग	788.70
	समग्र योग	**1,600.37**
	घटायेः पूँजीकृत व्यय	**279.16**
	वास्तविक कर्मचारी व्यय	**1,321.21**

6.2.12 अतः याचिकाकर्ता माननीय अयोग से 1321.21 करोड़ रू. (सेवान्त लाभ सहित) के वास्तविक खर्च को अनुमोदित करने का अनुरोध करता है।

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

6.2.13 वास्तविक प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय बनाम अनुमोदित प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय की तुलना नीचे दिये गये अनुसार है –

सारणी 8: विव 2018–19 के लिए प्रशा. एवं सामा. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
सकल प्रशा.एवं.सा. व्यय	118	230

6.2.14 याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि ए एण्ड जी के अधिकांश खर्चे, जो कि 93.6 करोड़ रू. है, स्पोट बिलिंग,सुरक्षा, वाहन चालन व्यय, इत्यादि के कारण हैं।

6.2.15 यह मानते हुये कि ये व्यय एक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए उपगत किये जाते हैं, जिन्हें पूर्णतया विक्रय पर प्रासमिक व्ययों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से सत्यापन याचिका में प्रशा. एवं सामा. व्यय की वास्तविक लागत को अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।

6.2.16 विव 2018–19 में याचिकाकर्ता ने 198.64 करोड़ रू. (पूंजीकरण का निवल) का व्यय प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों के प्रति किया था, इसलिए माननीय आयोग से उसे अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

सारणी 9: प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2018–19
1	किराया	3.11
2	दर एवं कर	0.67
3	लाईसेन्स एवं पंजीकरण शुल्क	0.00
4	सुरक्षा सेवा प्रभार	30.46

5	टेलीफोन, टेलेक्स, इपीएबीएक्स व्यय	7.60
6	डाक व तार	0.55
7	विधिक और तकनीकी प्रभार	2.27
8	अंकेक्षकों को भुगतान	0.05
9	पूर्व कर्मचारियों का प्रतिधारण व्यय	7.90
10	वाणिज्यिक लेखों के आन्तरिक अंकेक्षण का प्रभार	5.05
11	परामर्शी व्यय	4.09
12	व्यवसायिक प्रभार	0.17
13	वाहन किराया	5.02
14	यात्रा व्यय	6.96
15	वाहन चालन व्यय	24.01
16	उपभोक्ता जागरुकता व्यय	16.50
17	विद्युत खर्च (प्रशासनिक)	9.15
18	अन्य विविध व्यय	30.50
19	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2.82
20	डेक्ट्रेटल प्रभार	9.46
21	कम्प्यूटरीक्रत सेवा का प्रभार	4.20
22	बिल संग्रहण प्रभार	7.44
23	बाहरी एजेन्सी द्वारा एच.टी. रीडिग पर व्यय	2.84
24	फीडर इन्चार्ज को प्रोत्साहन	0.00
25	स्पोट बीलिंग व्यय	37.45
26	बिल वितरण प्रभार	1.89
27	नीलामी से सम्बन्धित व्यय	2.25
28	भाड़ा तथा सामग्री सम्बन्धी व्यय	7.46
	सकल प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	**229.85**
	घटायें – पूंजीकृत प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	31.22
	निवल प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	**198.64**

बीमा खर्चे

6.2.17 अनुमोदित एवं **वास्तविक** बीमा खर्चों की तुलना नीचे दी गई है।

सारणी 10: विव 2018–19 के लिए बीमा खर्चे (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
बीमा खर्चे	29	1.71

6.2.18 याचिका कर्ता द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए किये गये वास्तविक बीमे के खर्चे माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित खर्चो से कम है। याचिका कर्ता माननीय आयोग से वास्तविक बीमा खर्चो को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

मरम्मत एवं संधारण व्यय

6.2.19 वास्तविक मरम्मत एवं संधारण व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक मरम्मत एवं संधारण व्ययों की तुलना नीचे दी गयी है –

सारणी 11: विव 2018–19 के लिए मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
सकल म.एवं.सं. व्यय	236	233.30

6.2.20 याचिकाकर्ता द्वारा विव 2018–19 में बुनियादी ढांचों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 233.30 करोड़ रू. खर्च किए जो कि माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित की तुलना में कम हैं, अतः याचिकाकर्ता माननीय अयोग से **वास्तविक** व्यय को अनुमोदित करने का अनुरोध करता है।

सारणी 12: मरम्मत एवं संघारण व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19
संयन्त्र व मशीनरी	89.12
भवन	16.62
अन्य सिविल वर्क	0.00

लाइनें तथा केबिल नेटवर्क	124.88
वाहन	0.31
फर्नीचर व उपस्कर	0.03
कार्यालय उपकरण	2.34
योग	**233.30**

6.3 ब्याज तथा वित्त प्रभार

6.3.1 वर्ष 2018–19 के लिए माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.05.2018 अनुमोदित ब्याज एवं वित्त प्रभार और याचिका कर्ता द्वारा किये गये वास्तविक ब्याज एवं वित्त प्रभार का विस्तृत विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी 13: विव 2018–19 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज	579	385.66
अल्पकालीन उधारियों/कार्यशील पूंजी पर ब्याज	139.76	1,768.84
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	74	942.92
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	92	110.21
घटायें – पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त	158	33.20
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	1,325.00	
योग	**2,051.76**	**3,174.44**

6.3.2 राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में उदय स्कीम के अन्तर्गत लिए गये ऋण पर 846.37 करोड़ रू. ब्याज के वसूले हैं। इसको याचिका कर्ता की कृषि सहायिकी को आंशिक रूप से जारी करके समायोजित किया हैं। इस कारण गंभीर वित्तीय संकट खडा हो गया और याचिका कर्ता को अपनी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजीगत ऋण लेना पड़ा।

6.3.3 याचिका कर्ता ने उत्पादन कम्पनीयो से समय पर भुगतान की छूट का लाभ उठाने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण लिया था। छूट का लाभ वा.रा.आ. में उपल्बध करवा

दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पाद काम्पनीयों को समय पर भुगतान करने के लिये, कार्यशील पूंजी के लिये गये ऋण को लघु अवधि के ऋणों/कार्यशील पूंजी पर ब्याज में सम्मिलित कर लिया गया है। यदि माननीय आयोग द्वारा कार्यशील पूंजी के ऋणों को अनुमोदित नहीं करता है तो ऊर्जा क्रय पर शीघ्र भुगतान छूट का लाभ उपभोक्ताओं को डिस्कॉम की लागत पर होगा और डिस्कॉम की वर्तमान वित्तीय स्थिति इसको अनुमत नहीं करती है। उत्पादन कम्पनीयों को शीघ्र भुगतान पर ली गयी छूट और मूल धन को नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

विशिष्टियां	करोड़ रू.
शीघ्र भुगतान पर ली गयी छूट	135.86
कार्यशील पूंजी पर प्रास्मिक ब्याज दर (%)	11.55 %
मूल धन राशि जिस पर ऋण लिया गया	1176

6.3.4 यहा यह उलेखनीय है कि माननीय आयोग ने अनिबध राजस्व अन्तर पर ब्याज के 1325 करोड़ रू. अनुमोदित किये है और इन ऋणो पर दिया गया ब्याज डिस्कॉम के ब्याज एवं वित्त प्रभार में प्रतिबिम्बित किये गये है। इनको लघु के साथ ही दीर्घावधिं ऋणों में सम्मिलित किया गया हैं।

6.3.5 उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से याचिकाकर्ता द्वारा विव 2018–19 में उपगत 3100.27 करोड़ रूपये के वास्तविक निवल ब्याज लागत को अनुज्ञात करने का निवेदन करता है।

6.4 ह्रास

6.4.1 आयोग ने विव 2018–19 के लिए 904.36 करोड़ रू. के वास्तविक ह्रास के प्रति विव 2018–19 के लिए 732 करोड़ रू. ह्रास के रूप में अनुज्ञात किया था। नीचे सारणी प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियों, अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पतियों तथा ह्रास की अनुमोदित तथा अंकेक्षित राशियों का तुलनात्मक सारांश दर्शाती है –

सारणी 14: विव 2018–19 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक

प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	14,097	17,392.08
अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	15,292	19,842.21
ह्रास	**732**	**904.21**

6.4.2 ह्रास मे वृद्धि मुख्यतः उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने और विद्युत प्रदाय की गुणवक्ता और विश्वस्नीता को सुधारने हेतु विद्युत तंत्र को विकसित करने के लिए स्थायी परिसम्पतियों में वृद्धि के कारण है। याचिका कर्ता द्वारा किये गये पूंजीगत खर्चे का विस्तृत विवरण फोर्म संख्या 3.6 मे दर्शाया गया है।

6.4.3 याचिका कर्ता माननीय आयोग से वर्ष 2018–19 के लिये 904.36 करोड़ रू. ह्रास के रूप में अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं को दी गई छूट तथा पूर्वावधि

6.5 अन्य डेबिट,उपभोक्ताओं को दी गयी छूट तथा पूर्वावधि व्यय

6.5.1 **अन्य डेबिट,उपभोक्ताओं को दी गयी छूट तथा पूर्वावधि व्यय का विस्तृत विवरण वर्ष 2018–19 के अंकेक्षित लेखो के आधार पर निम्न सारणी में दर्शाया गया है।**

सारणी 15: विव 2018–19 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2018–19
A	**अन्य डेबिट**	
1	विधुत बिलों पर ऑनलाईन भुगतान पर प्रोत्साहन	0.49
2	स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर कमी	0.07
3	अपलिखित नगदी हानी	0.00
4	चोटग्रस्त कर्मचारी/मृत्यु की क्षतिपूर्ति	0.44
5	चोटग्रस्त बाहरी व्यक्ति/मृत्यु की क्षतिपूर्ति	5.78
6	स्टोर में बेकार सामग्री के कारण क्षति	0.00
7	इन्वेन्ट्री की गणना से हुई क्षतिपूर्ति	19.54
8	एक्सचेन्ज दर में परिवर्तन के कारण क्षति	0.15
9	/स्क्रेप के विक्रय के कारण क्षति	56.06
10		4.74
11	अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	0.17
	कुल योग	**87.43**
1.	वोल्टेज/ब्लोक सप्लाई/फलेट रेट/खराब मीटर/शीघ्र	257.75

	भुगतान छूट/पावर फेक्टर छूट	
2.	पीएसएल को टायमर उपलब्ध कराने पर छूट	7.55
3.	डीपीएस/एलपीएस में छूट	98.82
4.	सामग्री के परिवहन का पुर्नभुगतान	0.01
B	**उपभोगताओं को दी गयी छूट**	364.12
a.	उपभोगताओं की पूर्वावधि की बिलिंग	8.47
b.	पूर्वावधि की ब्याज से आय	(0.00)
c.	पूर्वावधि में अन्य अधिक्य प्रावधान	3.69
d.	पूर्वावधि से संबंधित अन्य आय	0.86
C1	**पूर्वावधि आय**	**13.02**
a.	पूर्वावधि की ऊर्जा क्रय का समायोजन	98.39
b.	सामान्य एंव प्रसाशनिक व्यय	1.39
C2	**पूर्वावधि व्यय**	99.79
C	**निवल पूर्वावधि व्यय**	(7.92)
D	**अपवाद स्वरूप आईटम (उदय के अर्न्तगत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान)**	(3,850.04)
	कुल योग	**(3,583.69)**

याचिका कर्ता निवेदन करता है कि अन्य डेबिट,उपभोक्ताओं को दी गयी छूट तथा पूर्वावधि व्यय याचिका कर्ता के नियत्रण से बाहर है अतः इसे अनियत्रणीय कारक समझा जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिका कर्ता ने उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से 4163.64 करोड़ रू. अनुदान के प्राप्त किये हैं।

याचिका कर्ता माननीय आयोग से वर्ष 2018–19 के लिये उपरोक्त 3583.69 करोड़ रू.को अनुमत करने की प्रार्थना करता हैं।

विव 2018–19 के लिए साराआ का सारांश

नीचे सारणी दिनांक 28.5.18 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में विव 2018–19 में उपगत वाराआ का सारांश दर्शाती हैः–

सारणी 16: विव 2018–19 के लिए वाराआ (करोड़ रू.)

व्यय	अनुमोदित	वास्तविक
विद्युत क्रय लागत (प्रसारण प्रभार सहित)	12,423.00	15,081.37
परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा खर्चे सहित)	1671	1,754.85
ब्याज तथा वित्त प्रभार	2,051.76	3174.44
ह्रास	732	904.36
अन्य व्यय		541.47
कुल वाराआ	**16,877.76**	**21,456.48**

गैर– टैरिफ आय एवं अन्य टैरिफ आय

गैर–टैरिफ आय उपभोक्ताओं के अलावा अन्य स्रोतों से आय है जैसे कि कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज, विलंबित भुगतान प्रभार, एफडी (फिक्स डिपोजिट), रद्दी माल की बिक्री से आय एवं अचल सम्पत्ति की बिक्री से आय इत्यादि। अन्य–टैरिफ आय में मीटर उपकरण किराया, उपभोक्ता से विविध शुल्क एवं आर.वी.पी.एन. तथा आर.वी.यू.एन. के पिछले वर्षों के सत्यापन आदेशों के अनुसार वसूल योग्य लागत शामिल है।

याचिका कर्ता ने वर्ष 2018–19 में गैर–टैरिफ आय के रुप में 758.61 करोड़ रू.प्राप्त किये है तथा अन्य आय 53.40 करोड़ रू. है। जयपुर डिस्कॉम माननीय आयोग से गैर–टैरिफ आय तथा अन्य आय को निम्नलिखित सारणी के अनुसार अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

सारणी 17 : गैर टैरिफ आय (करोड़ रू.)

क्र.सं.	गैर टैरिफ आय	वास्तविक
1.	स्थाई परिसम्पत्तियो पर प्राप्ति	.
2.	स्टॉफ को ऋण व अग्रिमों पर ब्याज	-
3.	ऋणों और अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम पर ब्याज	0.37
4.	एफ.डी.आर. से प्राप्त आय	3.53

5.	एफ.डी. के अतिरिक्त प्राप्त ब्याज से आय	-
6.	स्टॉफ क्वार्टरों से किराया	0.13
7.	पंजीकरण शुल्क	0.09
8.	टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय	0.61
9.	रद्दीमाल का विक्रय	16.69
10.	टेस्टिंग से आय	1.64
11.	अन्य विविध प्राप्तियां	83.95
12.	एक्सचेन्ज दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति	-
13.	ग्रचुटी का अतिरिक्त प्रावधान	26.58
14.	राज्य से प्राप्त अनुदान/सी.सी.एस.एल.	212.46
15.	शीघ्र भुगतान पर छूट	135.86
16.	विलम्ब भुगतान प्रभार	276.72
	कुल योग	**758.61**
	अन्य टैरिफ आय	
1.	विद्युत चोरी से प्राप्तियों का 50%	10.48
2.	मीटर किराया/सर्विस लाईन किराया(सी.टी./पी.टी. किराया)	12.23
3.	उपभोक्ताओ से प्राप्त विविध प्रभार	30.48
4.	विद्युत प्रसारण कंपनी से प्राप्त ट्रयू–अप जमा	-
5.	विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त ट्रयू–अप जमा	-
	कुल योग	**53.40**
	सकल योग	**812.01**

याचिका कर्ता ने अपनी वर्ष 2018–19 की वा.रा.आ. में डी.पी.एस. को पोषित करने के लिए इस पर लिये गये ऋण पर ब्याज मांगा है क्योकि डी.पी.एस. को गैर–टैरिफ आय

का एक भाग माना गया है।

माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2018 में डी.पी.एस. पर ब्याज के संबंध में कहा है कि –

'' आयोग इस प्रकरण की वर्तमान पिटीशन में जाँच नहीं करेगा क्योकि वर्ष 2018–19 की ए.आर.आर. पिटीशने प्रक्षेपित और अन–अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित हैं और डी. पी.एस. ब्याज के प्रकरण को वास्तविक और अंकेक्षित आंकड़ों के आधार पर जाँचा जा सकता है और डिस्कॉम को इस प्रकरण को वर्ष 2018–19 की ट्रू–अप पिटीशन दायर करते समय उठाने का निदेश देता है जिसमें डिस्कॉम डी.पी.एस. के वास्तविक आंकड़े जिन पर डी.पी.एस. वसूला गया है, के साथ ही विस्तृत गणना उपलब्ध कराये ''।

यहां यह उलेखनिय है कि डी.पी.एस. पर वित्तीय लागत का विचार प्रकरण संख्या 142/2009 में जारी माननीय एपटेल के आदेश दिनांक 12.07.2011 के अनुरूप है।

यहां यह उलेखनिय है कि उपरोक्त आदेश के अनुरूप कई राज्यों के आयोगे ने डी.पी. एस. पर केरीइंग कोस्ट पर विचार किया है। उदाहरण के लिए बिहार के राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपने आदेश दिनांक 24 मार्च 2017 में डी.पी.एस. के विरूद्ध प्राप्तीयों पर केरीइंग कोस्ट पर विचार किया है और डी.पी.एस. वित्तीय लागत को कार्यशील पूंजी की ब्याज दर के अनुरूप विचारार्थ रखा है।

याचिका कर्ता माननीय आयोग से उपरोक्त पर तार्किक विचार करने का अनुरोध करता है।

इस प्रकार वास्तविक और अंकेक्षित आंकडों के आधार पर याचिका कर्ता वर्ष 2018–19 के लिये डी.पी.एस. के मूल धन पर ब्याज का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत करता है।

सारणी 18 : विलम्ब शुल्क अधिभार की मूल राशि पर वित्तपोषण

ब्याज द्वारा विलम्ब शुल्क अधिभार को वित्त पोषण	वित्त वर्ष 2018–19

विलम्ब शुल्क अधिभार	276.72
2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क अधिभार हेतु मूल राशि	1152.98
विलम्ब शुल्क आधार के वित्त पोषण की ब्याज दर	11.55 %
विलम्ब शुल्क अधिभार हेतु मूल लागत पर वित्त पोषक ब्याज	**131.17**

अतः गैर टैरिफ आय को उपरोक्त प्रकार से निवेदित वित्त पोषक ब्याज से उचित समायोजित किया जाना निवेदित है।

विधुत विक्रय से प्राप्त राजस्व

दिनांक 28.5.2018 के आदेश में माननीय आयोग ने 16384 करोड़ रू. विद्युत विक्रय से राजस्व के रूप में अनुमोदित किये। अंकेशित वार्षिक खातों के अनुसार वास्तविक वार्षिक राजस्व 16350.97 करोड़ रू. है।

अनुमोदित व वास्तविक राजस्व का ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में दियृा गया है।

सारणी 19 : विव 2018–19 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व (करोड़ रू.)

राजस्व	अनुमोदित	वास्तविक
विद्युत का विक्रय	16,384.00	16,350.97
अन्य टैरिफ आय / गैर– टैरिफ आय	377	812.01
ट्रेडिंग गतिविधि से आय	0	366.40
व्हीलिंग, क्रोस सब्सिडी व अतिरिक्त प्रभारों से आय	133	30.47
कुल राजस्व	**16,894**	**17,560**

विव 2018–19 के लिए राजस्व धाटा

1.76 वास्तविक वाराआ तथा राजस्व प्राप्ति पर आधारित, विव 2018–19 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित अधिशेष 651 करोड़ रू. के प्रति राजस्व **धाटा** 3257.54 करोड़ रू. हैं। अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व घाटा नीचे सारणी में सारांशित है :–

सारणी 20: विव 2018–19 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व अधिशेष/घाटा

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
समग्र राजस्व आवश्यकता	**16,878**	**21,456.48**
कुल राजस्व	**16,894**	**17,560**
राजस्व घाटा/अधिशेष	**16.24**	**-3,896.63**
राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी	676	632.36
प्रशमन प्रभारों के प्रति सहायिकी		6.73
उप –योग	**676.00**	**639.09**
आर वी यू एन ट्रूअप आदेश	**41**	**0**
निवल राजस्व घाटा (बिना उदय अनुदान के)	**651.245**	**(3,257.54)**
प्राप्त उदय अनुदान	**0**	4,163.64
निवल राजस्व घाटा (उदय अनुदान के साथ)	**651.245**	**906.10**

जैसा कि उपरोक्त से सिद्ध होता है, विव 2018–19 की राजस्व आवश्यकता में वास्तविक **राजस्व घाटा** आयोग द्वारा इसके वाराआ आदेश में अनुज्ञात 651.245 करोड़ रू. से भारी उच्चतर 3258 करोड़ रू. है।

यह प्रार्थना है कि आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग विव 2018–19 के वास्तविक राजस्व अन्तर पर विचार करे।

विव 2018–19 के लिए विचलन विश्लेषण

नीचे दी गई सारणी, आय तथा व्यय के प्रत्येक तत्व के बारे में विचलन विश्लेषण दर्शाती है –

सारणी 21: विचलन विश्लेषण (करोड़ रू.)

क्र. स.	विशिष्टिया	अनुमोदित (अ)	वास्तविक (अ)	विचलन (स=अ- ब)	विचलन के कारण	नियंत्रणीय / अनियंत्रणीय
	1. राजस्व					
	विद्युत का विक्रय	**16.384**	**16,350.97**	33.03		अनियंत्रणीय
	व्हीलिंग,क्रोस सब्सिडी और अतिरिक्त प्रभार	133.00	30.47	103.00	अंकेक्षित लेखों के अनुसार	अनियंत्रणीय
	गैर– टैरिफ आय / अन्य टैरिफ आय	377.00	812.01	(435.00)	अंकेक्षित लेखों के अनुसार	अनियंत्रणीय
	ट्रेडिंग से आय	0.00	366.40	(366.40)	अंकेक्षित लेखों के अनुसार	अनियंत्रणीय
	कुल राजस्व (A)	**16,894.00**	**17,559.85**	**(665.85)**		
	2. व्यय					
	विद्युत क्रय	10,773	13,155.42	(2,382)	विधुत विक्रय और वितरण हानियां अनुमोदित से अधिक होने के कारण विधुत क्रय का मूल्य और इसकी मात्रा अधिक थी।	अनियंत्रणीय
	प्रसारण प्रभार	1,650	1,925.95	(275.95)		
	परिचालन एवं संधारण व्यय बीमा खर्चे शामिल करते हुए।	1,651	1,754.85	83.85	प.व.स.व्यय अनुमोदित वा.रा.आ. के आदेश से अधिक होने के कारण	नियंत्रणीय
	ब्याज तथा वित्त	2,052.00	3,174.44	(1,122.44)	अंकेक्षित लेखों के	नियंत्रणीय

	प्रभार (अपूरित राजस्व घाटे को सम्मिलित करते हुयें।				अनुसार	
	ह्रास	732	904.36	(172.36)	ह्रास लेखों की पुस्तिका में दर्ज वास्तिविक प्रारम्भिक और अंतिम परिसम्पतियों के अनुसार लिया गया हैं	अनियंत्रणीय
	अन्य व्यय	0.00	541.47	(541.47)	उदय योजना के अर्न्तगत 4164 करोड़ रू के अनुदान का महत्त्वपूर्ण प्रभाव	अनियंत्रणीय
	समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (B)	**16,878**	**21,456.48**	**(4,579)**		
	अन्तर / (अधिशेष) (B–A) = C	(16)	3,896.63	3,912.87		
	घटायें – राजस्व सहायिकी	*(676.00)*	*(639.09)*	*(36.91)*		
	जोड़े : आर.वी.यू. एन. की ट्रू–अप का प्रभाव	41	0	41	**आर.वी.यू.एन. ट्रू–अप के आदेश के अनुसार**	
	निवल राजस्व अन्तर केरीइंग कोस्ट को समिलित करते हुए	**(651)**	**(3,257.54)**	**3908.79**		
	जोड़े : उदय अनुदान	**0**	**4,163.64**			
	निवल राजस्व अन्तर (उदय अनुदान के पश्चात	**(651)**	**(906.10)**	**254.85**		

उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता माननीय आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर विव 2018–19 के व्यय तथा 3257.54 करोड़ रू. के राजस्व अन्तर के अनुमोदन की सादर प्रार्थना करता है।

प्रार्थना :–

t;iqj fo|qr forj.k fuxe fy- ekuuh; vk;ksx ls ;kfpdk drkZ }kjk lkzLrqr okLrfod vkadMksa ds vk/kkj ij o"kZ 2018&19 dh V^aw&vi dks vuqer djus dh izkFkZuk djrk gS तथा 3257.54 करोड़ रू. के राजस्व अन्तर के अनुमोदन की सादर प्रार्थना करता है।